

# भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

सं. ई सी आई/प्रे.नो./23/2015

दिनांक : 10 मार्च, 2015

## प्रेस नोट

**विषय : महाराष्ट्र, पंजाब, उत्तर प्रदेश तथा उत्तराखंड की राज्य विधान सभाओं में आकस्मिक रिक्तियों को भरने के लिए उप निर्वाचन की अनुसूची-तत्संबंधी।**

निम्नलिखित राज्यों के सामने दर्शाए गए विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों में स्पष्ट रिक्तियां हैं जिन्हें भरा जाना आवश्यक है:

क्रम सं.	राज्य	विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या व नाम
1	महाराष्ट्र	176-वान्द्रे पूर्व
2	महाराष्ट्र	287-तासगांव-कवठे महाकाल
3	पंजाब	107-धूरी
4	उत्तर प्रदेश	231-चरखारी
5	उत्तर प्रदेश	315-फरेन्दा
6	उत्तर प्रदेश	358-रसड़ा
7	उत्तराखंड	28-भगवानपुर (अ जा)

आयोग ने निम्नलिखित अनुसूची के अनुसार इन रिक्तियों को भरने के लिए उपनिर्वाचन आयोजित करने का निर्णय लिया है :

क्रम सं.	कार्यक्रम	तारीख
1.	अधिसूचना जारी करना	17.03.2015 (मंगलवार)
2.	नामांकन भरने की अंतिम तारीख	24.03.2015 (मंगलवार)
3.	नामांकनों की संवीक्षा	25.03.2015 (बुधवार)
4.	अभ्यर्थिताएं वापस लेने की अंतिम तारीख	27.03.2015 (शुक्रवार)
5.	मतदान की तारीख	11.04.2015 (शनिवार)
6.	मतगणना की तारीख	15.04.2015 (बुधवार)
7.	वह तारीख जिससे पूर्व निर्वाचन सम्पन्न करा लिया जाएगा	18.04.2015 (शनिवार)
8.	मतदान का समय	पूर्वाह्न 8:00 बजे से अपराह्न 05:00 बजे तक

### **निर्वाचक नामावली**

इन विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों को 01.01.2015 के संदर्भ में अर्हक तारीख के रूप में संशोधित कर लिया गया है और महाराष्ट्र में 21.01.2015 को, पंजाब और उत्तर प्रदेश में 05.01.2015 को तथा उत्तराखंड में 15.01.2015 को अंतिम रूप से प्रकाशित कर दिया गया है।

### **इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ई वी एम)**

आयोग ने उप-निर्वाचन में सभी मतदान केंद्रों में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें प्रयोग करने का निर्णय लिया है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें पर्याप्त संख्या में उपलब्ध करवा दी गई हैं और यह सुनिश्चित करने के लिए कि इन मशीनों की मदद से मतदान निर्विघ्न रूप से संचालित किए जाएं, सभी उपाय कर लिए गए हैं।

### **मतदाताओं की पहचान**

आयोग ने यह निर्णय लिया है कि मतदान के समय उपरोल्लिखित उप-निर्वाचन में मतदाता की पहचान आवश्यक होगी। मतदाता की पहचान के लिए फोटो निर्वाचक नामावली (पीईआर) मुख्य दस्तावेज होगा। तथापि, यह सुनिश्चित करने के लिए कि निर्वाचक नामावली में किसी का भी नाम विद्यमान होने पर कोई भी मतदाता अपने मताधिकार से वंचित न रह जाए,

इसके लिए उपरोक्त उप-निर्वाचन में मतदान के समय मतदाता की पहचान के लिए अतिरिक्त दस्तावेजों की अनुमति प्रदान किए जाने के लिए अलग से अनुदेश जारी किए जाएंगे।

### **आदर्श आचार संहिता**

आयोग के दिनांक 26 अप्रैल, 2012 के अनुदेश सं. 437/अनु./2012/सीसी एवं बीई (आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध) द्वारा जारी, आंशिक संशोधनों के अध्यक्षीन, आदर्श आचार संहिता उस/उन जिले/जिलों में तत्काल प्रभाव से लागू हो जाएगी जहां पूरे विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र या उसके कुछ अंश में उप-निर्वाचन होना है। आदर्श आचार संहिता सभी अभ्यर्थियों, राजनैतिक दलों और संबंधित राज्य सरकार पर लागू होगी। आदर्श आचार संहिता संबंधित राज्य के लिए संघ सरकार पर भी लागू होगी।

(सुमित मुखर्जी)  
निदेशक